न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री डूँगरगढ

मुकदमा नम्बर 93/2019 निर्णय दिनांक 7.2..2020

खेतनाथ पुत्र पोकरनाथ सिद्ध निवासी श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर

————प्रार्थी

बनाम

1. स्टेट जरिये तहसीलदार, श्री डूँगरगढ
2. शोभनाथ पुत्र सिद्ध निवासी श्री डूँगरगढ

————अप्रार्थीगण

उपस्थिति–

1. श्री पूनमचन्द मारू अधिवक्ता प्रार्थी की तरफ से ।
2. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह प्रार्थना पत्र खेतनाथ ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया कि खेत खसरा नम्बर 183 तादादी 55 बीघा 11 बिस्वा वाके रोही पून्दलसर तहसील श्री डूँगरगढ की खातेदारी गणपतनाथ पुत्र श्योनाथ जाति सिद्ध निवासी श्री डूँगरगढ के नाम से थी । प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ने खातेदार गणपतनाथ सिद्ध से उक्त खातेदारी भूमि में से 20 बीघा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.4.1992 द्वारा संयुक्त रूप से क्रय की जिस पर नामान्तरण संख्या 370 दिनांक 20.6.1992 के जरिये प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम खसरा नम्बर 183/1 मीन तादादी 20 बीघा के रूप में सही रूप से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज हो गई । राजस्व रिकार्ड में सम्वत 2060 तक प्रार्थी का नाम सही रूप से चलता रहा । सम्वत 2061–2064 में सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम खेतनाथ की बजाय रेवंतनाथ कर दिया जो कि सही नहीं है व शुद्धि किए जाने योग्य है । कालान्तर में खसरा नम्बर 183/1 के नये खसरा नम्बर 601/183 व खसरा नम्बर 601/183 के नये खसरा नम्बर 222 तादादी 5.06 हैक्टयर कायम हो गये । प्रार्थी को जब उपरोक्त खसरा की भमि पर केसीसी बनाने हेतु पटवारी हल्का से संपर्क किया व इन्तकाल, जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल आदि की नकले दिनांक 18.10.2019 को निकलवाई तो प्रार्थी का जानकारी हुई कि प्रार्थी के खातेदारी के वर्तमान खेत खसरा नम्बर 222 तादादी 5.06 हैक्टयर रोही पून्दलसर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत रूप से रेवंतनाथ अंकित चला आ रहा है, जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम शुरू से ही खेतनाथ रहा है । प्रार्थी अनपढ व मजदूरी पेशा व्यक्ति है । प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित चले आ रहे अपने नाम की कभी कोई जानकारी नहीं रही है । प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड की नकले लेने पर ही सारी जानकारी हो पाई है । प्रार्थी के तमाम सकारी दस्तावेज तथा राषन कार्ड, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि में भी प्रार्थी का नाम खेतनाथ पुत्र पोकरनाथ अंकित चला आ रहा है । यानि राजस्व रिकार्ड को छोडकर तमाम दस्तावेजों में प्रार्थी का खेतनाथ अंकित है । वर्णित खसरा भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा पर कब्जा काष्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है । 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रार्थी के भाई अप्रार्थी संख्या 2 के नाम है । अप्रार्थी संख्या 2 रिकार्डेड खातेदार होने के कारण पक्षकार संयोजित किया गया है जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है । प्रार्थी उपरोक्त खसरा की भमि में अपना सही नाम खेतनाथ अंकित होने के कारण प्रार्थी को उपरोक्त खसरा भूमि पर केसीसी बनाने, ट्यूब बनाने व अन्य कई तरह की परेषानियों का सामना कना पड रहा है व प्रार्थी अपनी खातेदारी से ही वंचित हो रहा है । वर्णित खेत में प्राथी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित कर दिया गया है, इस बाबत प्रार्थी ने

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

दिनांक 21.10.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया कि मेरा नाम खेतनाथ है और मैंने व अप्रार्थी संख्या 2 ने जब खेत खरीद किया था तथा सम्वत 2060 तक के राजस्व रिकार्ड मेरा नाम सही चलता रहरा है । सम्वत् 2061–2064 सेटलमेन्ट के दौरान मेरा नाम रेवंतनाथ कर दिया है जो वर्तमान में भी मेरे खेत खसरा नम्बर 222 रोही पून्दलसर में मेरा नाम गलत रूप से रेवंतनाथ ही अंकित चला आ रहा है जिसे शुद्धिकरण कर मेरा सही नाम खेतनाथ अंकित कर देवे तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को कहा कि यह गलती सेटलमेन्ट के दौरान हुई है इसलिए आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ, बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपका नाम रिकार्ड में शुद्धिकरण करना संभव नहीं है, इस प्रकार अप्रार्थी ने प्रार्थी का नाम की शुद्धिकरण करने से स्पष्ट इंकार कर दिया । राजस्व रिकार्ड में उक्त संषोधन होने से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पडेगा जबकि इसके विपरीत सही नाम दर्ज नहीं होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी । अतः प्रार्थना पत्र पश कर निवेदन किया है कि वर्तमान खेत खसरा नम्बर 222 तादादी 5.06 हैक्टयर वाके रोही पून्दलसर तहसील श्री डूँगरगढ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम रेवन्तनाथ अंकित किया हुआ है उसकी जगह खेतनाथ अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेष अप्रार्थी संख्या 1 को दिया जावे और उसकी पालना अप्रार्थी संख्या 1 को दिया जावे और उसकी पालना अप्रार्थी संख्या 1 से करवाई जावे ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी स्टेट की तरफ से जबाब पेश किया गया कि जमाबंदी सम्वत 2055 में प्रार्थी खेतनाथ का नाम खेत नाथ पुत्र पोकरनाथ दर्ज है । वर्तमान जमाबन्दी में सहवन से रेवन्तनाथ दर्ज हो गया है प्रार्थी के आधार कार्ड व अन्य परिचय पत्रों में नाम खेतनाथ है अतः राजस्व रिकार्ड में खेतनाथ पुत्र पोकरनाथ के नाम से शुद्धि की जानी उचित है ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने के कारण एवं अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रार्थी का नाम खेतनाथ होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 222 तादादी 5.06 हैक्टयर वाके रोही पून्दलसर तहसील श्री डूँगरगढ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का अशुद्ध नाम जहां जहां रेवन्तनाथ अंकित किया हुआ है उसके स्थान पर खेतनाथ अंकित करने के आदेश तहसीलदार, श्री डूँगरगढ को दिये जाते है । तहसीलदार, श्री डूँगरगढ राजस्व रिकार्ड में तद्नुसार शुद्धि करें ।

यह आदेश आज दिनांक 7.2.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया । पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों । आदेष सरे इजलास सुनाया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्री डूँगरगढ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner